7.7.17

रूपलाल ⑦

नारायणलाल

अमरचंद ⑥

पत्रावली कोर्ट कैम्प खैराबाद पर पेश। प्रतिवादी सं० 7, 6 उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं उसके भाई नाथु पिता नन्दा गुर्जर एवं प्रतिवादीगण अरूप बिना तकसीम के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम नापाखेड़ा [illegible] किशनपुरा के ख०न० 175, 789, 791, 174, 42, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 225, 235, 240, 461, 475, 476, 477, 478, 233, 766, 767, स्थित हैं।

वादीगण का भाई नाथु है जो अविवाहित होकर पिछले करीब 22 वर्ष कहीं चला गया। जिसका कोई अता पता नहीं है तथा उसके वादीगण ही सगे भाई हैं एवं भाग वारिसान हैं नाथु की भूमि हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं नाथु बिना बताये कहीं चले गये हैं जो 22 वर्षों से घर पर नहीं आये हैं न ही उनकी कोई जानकारी मिली है नाथु के हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण हड़पना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते हैं। जबकि वादीगण सगे भाई

होकर हम उसके हिस्से की भूमि के नालेसान है। अतः नानु को 22 वर्षों से लापता होने से उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रेकार्ड की इन्द्राज दुरस्ती कर वादीगण के भाई नानु का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर नानु के हिस्से की आराजियात को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली के साथ प्रस्तुत वाद में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये कि नानु 22 वर्षों से लापता हो।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 7.7.2017 को निर्णय ओपन कोर्ट कैम्प [illegible] पर खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़

1— श्री देवीलाल S/o नन्दा गुर्जर निवासी मायडियाखेड़ा
2— ,, भेरूलाल S/o ——— ,, ———
बनाम
वादीगण
1— श्रीमति रामू पुत्री नन्दा गुर्जर पत्नी जमना गुर्जर नि. मायडियाखेड़ा
2 ,, मांगु पुत्री नन्दा गुर्जर पत्नी ओंकार ——— ,, ———
3 ,, नाथूलाल S/o मांगु गुर्जर निवासी
4 ,, शांति पुत्री मांगु गुर्जर W/o रामचन्द्र गुर्जर ——— ,, ———
5 ,, सुशीला पुत्री मांगु गुर्जर W/o धन्ना ——— ,, ———
6 ,, अमरचंद S/o मांगु गुर्जर ——— ,, ———
7 ,, उदा S/o मांगु गुर्जर ——— ,, ———
8 ,, उदा S/o चुन्नी ——— ,, ———
9 ,, चुन्नी S/o नन्दा गुर्जर नि. मायडियाखेड़ा ———
10 ,, भीमा S/o चुन्नी गुर्जर ——— ,, ———
11 ,, श्रीमति अंबी W/o देवीलाल गुर्जर ——— ,, ———

दावा बाबत— 88, 89, व 188 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर :— 223/15

निर्णय दिनांक :— 7.7.17

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से ...एक... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—

वादीगण का वाद पत्र सिद्ध नहीं होने से वाद खारीज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 07.07.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं